

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा—०९ (राज०), ईमेल—ccffdp.kota@gmail.com दरभाष— ०७४४—२५००१९४
क्रमांक:एफ०१३()एफसीए/समुवसं/२०२३ / ५१७९ दिनांक : ५/८/२३
निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटोकशन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय: Construction of approach road to foosod mata ji.(Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/152647/2022)

प्रसंग: आपका ऑनलाइन ई०डी०एस० एवं पत्रांक एफ०१४()२०१९/झालायाड रोड/एफसीए/प्रमुवसं/६१६८ दिनांक ३१.०५.२०२३ के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसंगिक ई०डी०एस० एवं पत्र दिनांक ३१.०५.२०२३ के क्रम में उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक ६१६८ दिनांक ३१.०५.२०२३ से चाही गई विन्दूओं की सूचना तैयार कर कार्यालय में प्रेषित की है जो निम्नानुसार है—

क्रमांक	आक्षेप	पालना
१	संलग्न के०एम०एल० फाइल में वनभूमि का सीमा विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
२	संलग्न डी०जी०पी०एस० मेप में गैर वनभूमि का खसरा संख्या ५१० गैर वनभूमि में दर्शाया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
३	प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गों में एलायमेंट -२ में वनभूमि ०.४९२० है० आती है तो उस मार्ग के प्रस्ताव का चयन नहीं करने के कारण स्पष्ट किये जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्ग में एलाइमेंट ०२ में न्यूनतम वनक्षेत्र ०.६६३ हैप्टर आता है।
४	प्रस्तावित मार्ग में गैर वनभूमि में मकान आदि आना दृश्यमान है जबकि प्रस्ताव में कोई विस्थापन होना नहीं दर्शाया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
५	खसरा अनुसार रिपोर्ट में २६० नम्बर का खसरा वन विभाग के नाम नहीं है।	प्रस्ताव से संबंधित नहीं है।
६	उप वन संरक्षक द्वारा वनभूमि का विविध अस्तित्व प्राइवेट राजस्थ लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की खातेदारी में है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-ा में ऑनलाइन संशोधन कर दिया है।
७	यूजर एजेन्सी उक्त ग्राम में प्राप्त वन/गैर वनभूमि को पृथक—पृथक रंग से दर्शाया जाकर आस पास की सीमा बनायी जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
८	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट-ा के विन्दु संख्या ५ में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-ा के विन्दु संख्या ५ में ऑनलाइन संशोधन कर दिया है।
९	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट-ा के विन्दु संख्या ८ में वन्यजीव की उपरिथिति का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-ा के विन्दु संख्या ८ में ऑनलाइन संशोधन कर दिया है।
१०	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उससे संबंधित दस्तावेज यथा १०० वृक्षों की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, डी०जी०पी०एस० मेप एवं जी०टी०शीट मेप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-ा में ऑनलाइन वांछित संशोधन कर दिया है।
११	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वनभूमि ०.४१ है० हेतु किया गया है जबकि प्रस्तावित चयन भूमि ०.५९ है० है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में ऑनलाइन संशोधन कर अपलोड कर दिया है।

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.08.04 03:26:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4448293



12	वनभूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं हैं।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट-ग में ऑनलाइन गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपलोड कर दी है।
13	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा नहीं की गयी है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा कर संशोधित रिपोर्ट अपलोड कर दी है।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13()एफसीए/समुवसं/2023/

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को पत्रांक 6714 दिनांक 28.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.08.04 06:26:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4448293

